

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी

मंगलवार, 13 जून, 1995/ज्येष्ठ 23, 1917 शक

संख्या-194

सदस्य की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 8.6.95 का निम्नलिखित वायरलेस सदेश पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पश्चिमी जिला, दिल्ली से दिनांक 9.6.1995 को प्राप्त हुआ :-

"श्री भगवान सिंह रावत, अधीक्षक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान डेसू, सैक्टर-8, रोहणी की शिकायत पर श्री जय भगवान, विधायक बादली विधान सभा क्षेत्र, दिल्ली तथा अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 427/24 के अन्तर्गत रोहणी पुलिस स्टेशन में दिनांक 8.6.1995 को दर्ज प्रथम सूचना रपट एफ.आई.आर संख्या-189/95 के तहत एक केस रजिस्टर्ड हुआ है। श्री जय भगवान, विधायक को इस केस के संबंध में दिनांक 8.6.1995 को अपराहन 2.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 8.6.1995 को ही अपराहन 2.35 बजे जमानत पर रिहा कर दिया गया।"

पी.एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, June 13, 1995/Jyestha 23, 1917 (Saka)

No. 194

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following wireless message dated 8.6.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha from the Deputy Commissioner of Police, North-West Distt., Delhi was received on 9.6.95 :-

"A case has been registered vide FIR No. 189/95 DTD 8/6/95 U/S 186, 353, 332, 427/34 IPC P.S. Rohini on the complaint of Shri Bhagwan Singh Rawat Supdt, DESU, Sector-8, Rohini against Shri Jai Bhagwan, M.L.A. (Badli Constituency) Delhi and others. Shri Jai Bhagwan has been arrested in this case at 2.30 P.M. on 8.6.95 and released on bail at 2.35 P.M. on 8.6.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY